

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02092020-221522
SG-DL-E-02092020-221522

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2020/भाद्र 10, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 120
No. 177]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2020/BHADRA 10, 1942	[N. C. T. D. No. 120

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

folÙk %jktLo&I% foÙkkx

vf/kI ipuk

दिल्ली, 1 सितम्बर, 2020

| ; k 34@2020&jKT; dj

I aQk- 3%29%@foÙk%jktLo&I%@2020&21@Mh, | & IV @71.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व—I) की अधिसूचना सं. 21/2019—राज्यकर, दिनांक 17.10.2019, जिसे सं.फा. 3(73)/वित्त(राजस्व—I) /2020—21/डीएस—VI/, दिनांक 17.10.2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग—IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) दूसरे अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के तहत प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में एक ब्यौरा, जिसमें स्व-आकलित कर के भुगतान का विवरण होगा, जुलाई 2020 के 7 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।"

(ii) तृतीय अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की विवरणी दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-4 में जुलाई, 2020 के 15 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।"

2. यह अधिसूचना 3 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर

सुनील सहगल, उप सचिव—IV (वित्त)

उक्त/मूल अधिसूचना सं० 21/2019-राज्य कर, दिनांक 17/10/2019 सं.फा. 3(73)/वित्त(राजस्व-I)/2019-20/डीएस-VI/490, दिनांक 17/10/2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसे बाद में अधिसूचना सं० 74/2019-राज्य कर, दिनांक 26.08.2020, जिसे सं.फा. 3(30)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/56, दिनांक 26.08.2020 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, से संशोधित किया गया था।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st September, 2020

No. 34/2020—State Tax

No.F 3(29)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-VI/71.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of the National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No. 21/2019- State Tax, dated the 17th October, 2019, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (73)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/490, dated the 17th October, 2019, namely:—

In the said notification,-

(i) in the second paragraph, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, for the quarter ending 31st March, 2020, till the 7th day of July, 2020.";

(ii) in the third paragraph, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the said persons shall furnish the return in **FORM GSTR-4** of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31st March, 2020, till the 15th day of July, 2020.".

2. This notification shall come into force with effect from 3rd April, 2020.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SUNIL SEHGAL, Dy. Secy. VI (Finance)

Note: The principal notification No. 21/2019- State Tax, dated the 17th October, 2019, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (73)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/490, dated the 17th October, 2019, and was subsequently amended by notification No. 74/2019-State Tax, dated 26.08.2020 published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (30)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-VI/56, dated 26.08. 2020.

vfk/kl puk

दिल्ली, 1 सितम्बर, 2020

। [; k 09@2020&jkt; dj

। #Qk- 3%35%@foUkijktLo&I@2020&21@Mh- , - **IV@72.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (इसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 381 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अधीन आने वाले व्यक्तियों और जो कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 के नियम 4 के उपनियम (2) का अनुपालन किया है, यदि वह कोई विदेशी कंपनी है, जो कि एक एयरलाइन कंपनी है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, को अधिसूचित करती है।

2. उक्त व्यक्तियों को, उक्त नियमों के नियम 80 के उपनियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के । #i th, । Vh vkj &9X में समाधान विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु भारतीय कारबार संचालनों के बाबत प्रत्येक माल और सेवा कर पहचान संख्याक के लिए, भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म या भारत में व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संदायों का विवरण वित्तीय वर्ष के उत्तरवर्ती वर्ष के 30 सितम्बर को प्रस्तुत किया है।

3. यह अधिसूचना 16 मार्च, 2020 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर

सुनील सहगल, उप सचिव- IV (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st September, 2020

No. 09/2020 – State Tax

No. F.3(35)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/72.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the persons who are foreign company which is an airlines company covered under the notification issued under sub-section (1) of section 381 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and who have complied with the sub-rule (2) of rule 4 of the Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below.

2. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in **FORM GSTR-9C** to the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 under sub- section (2) of section 44 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules:

Provided that a statement of receipts and payments for the financial year in respect of its Indian Business operations, duly authenticated by a practicing Chartered Accountant in India or a firm or a Limited Liability Partnership of practicing Chartered Accountants in India is submitted for each GSTIN by the 30th September of the year succeeding the financial year.

3. This notification shall come into force on the 16th day of March, 2020.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy. IV (Finance)

vfk/kl puk

दिल्ली, 1 सितम्बर, 2020

। अक्टूबर 2020 का दिनांक

। अक्टूबर 31, 2020 का दिनांक। अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं 1/2017— राज्य कर(दर) दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं.फा. 3(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/382, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा:

1. उक्त अधिसूचना में,

क अनुसूची I— 2.5% में, क्रम सं. 187 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख अनुसूची II —6% में,—

(i) क्रम सं. 75 और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

75''अ	3605 00 10	सभी माल;”
-------	------------	-----------

(ii) क्रम सं. 202 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 203 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ग अनुसूची III —9% में,—

(i) क्रम सं. 73 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 379 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सभी माल” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर

सुनील सहगल, उप सचिव—IV (वित्त)

उक्त & प्रधान अधिसूचना सं 1/2017—राज्यकर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 को सं.फा.3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/382, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत, दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 01/2020— राज्य कर (दर), दिनांक 05/08/2020, सं.फा. 3(21)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/41, दिनांक 05/08/2020 को दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

Delhi, the 1st September, 2020

No. 03/2020-State Tax (Rate)

No. F.3 (37)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/73.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance (Revenue-I), No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382 dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule I – 2.5%, serial number 187 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule II - 6%,-

(i) after serial number 75 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

“75A.	3605 00 10	All goods”;
-------	------------	-------------

(ii) serial number 202 and the entries relating thereto shall be omitted;

(iii) serial number 203 and the entries relating thereto shall be omitted;

(c) in Schedule III - 9%,-

(i) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) in serial number 379, for the entry in column (3), the entry “All goods” shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy. IV (Finance)

Note: - The principal notification No.1/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382 dated the 30th June, 2017, and was last amended by notification No. 01/2020- State Tax(Rate), dated the 5th August, 2020, Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(21)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/41 , dated the 5th August, 2020.

✓f/kl ipuk

दिल्ली, 1 सितम्बर, 2020

| [; k 04@2020&] kT; dj

I aQk- 3/38%@foUkjktLo&I@2020&21@Mh, I &IV@74.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग- IV, में सं. फा. 3(86) / वित्त (राजस्व- I) / 2017-18 / डीएस- VI / 92, तारीख 23 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित, दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व- I) की अधिसूचना संख्यांक 4 / 2018—राज्य कर, तारीख 23 फरवरी, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक में “10 जनवरी, 2020” अंको, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, “17 जनवरी, 2020” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।”।

2. यह अधिसूचना 10 जनवरी, 2020 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर

सुनील सहगल, उप सचिव- IV (वित्त)

fVII . k % मूल अधिसूचना संख्यांक 4 / 2018—राज्य कर, तारीख 23 फरवरी, 2018, दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग- IV, में सं. फा. 3(86) / वित्त (राजस्व- I) / 2017-18 / डीएस- VI / 92, तारीख 23 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 74 / 2019—राज्य कर, तारीख 26 / 08 / 2020, जो दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग- IV, में सं. फा. 3(30) / वित्त (राजस्व- I) / 2020-21 / डीएस- IV / 56, तारीख 26 / 08 / 2020 द्वारा संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

Delhi, the 1st September, 2020

No. 04/2020 – State Tax

No. F.3(38)/Fin.(Rev-I)/2020-21/ DS- IV/74.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of the National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance(Revenue-I) No. 4/2018– State Tax, dated the 23rd February, 2018, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3

(86)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/92 dated the 23rd February, 2018, namely:-

1. In the said notification, in the third proviso for the figures, letters and word “10th January, 2020”, the figures, letters and word “17th January, 2020” shall be substituted.
2. This notification shall come into force with effect from the 10th January, 2020.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SUNIL SEHGAL, Dy. Secy. IV (Finance)

Note: The principal notification No. 4/2018-State Tax, dated 23.02.2018 was published in the Delhi Gazette, Extraordinary, *vide* F.3 (86)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/92 dated 23.02.2018 and was last amended by notification No. 74/2019-State Tax, dated 26.08.2020, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, *vide* F.3 (30)/Fin(Rev.-1)//2020-21/DS-IV/56, dated 26.08.2020.

✓f/kl ipuk

दिल्ली, 1 सितम्बर, 2020

| ; k 42@2019&jKT; dj

I aQk- 3%39%@foUk%jktLo&I%@2020&21@Mh, I & **IV@75**.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 सितंबर, 2019 को उस तारीख के रूप में, जिसको दिल्ली माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 [दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग **IV** में स.फ03(8) /वित्त(राजस्व—I)/2020-21/डीएस— **IV** /171, तारीख 05/06/2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 31/2019— राज्य कर, तारीख 05/06/2020] के नियम 10, नियम 11, नियम 12 और नियम 26 के उपर्युक्त होंगे, नियत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
सुनील सहगल, उप सचिव— **IV** (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st September, 2020

No. 42/2019 – State Tax

No. F.3(39)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/75.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 24th day of September, 2019, as the date on which the provisions of rules 10, 11, 12 and 26 of the Delhi Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2019 [Notification No. 31/2019– State Tax, dated the 5th June,2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No . F.3(8)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/171, dated the 5th June,2020] shall come into force.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy IV (Finance)